राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.पी.एड) 2020
पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु

सामान्य दिशा–निर्देशिका

प्रो. आर. के. कोठारी
कुलपति

प्रो. कृष्णगोपाल शर्मा
समन्वयक,
प्री.एम.पी.एड.–2020

प्री. एम.पी.एड. प्रवेश परीक्षा कार्यालय 2020
खेल बोर्ड,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
दूरभाष नं. 0141–2711070 / 2710184 / 2711064 एक्स. 597 / 596 / 595
ई–मेलः **pmped2020@gmail.com**
मो. नं., 9460458459, 9460788826, 9887150071
वेबसाईट–**www.pmped2020.com**

प्री. एम.पी.एड. प्रवेश हेतु दिशा निर्देश

- एम.पी.एड प्रवेश परीक्षा सूची के निमित राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा समय समय पर जारी आदेश, निर्देश लागू होंगे।
- **राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रवेश ऐजेन्सीः** राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा पत्रांक एफ–10(3) शिक्षा ग्रुप –4)/2016 पीटी जयपुर के दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के अनुमोदनानुसार राजस्थान राज्य के समस्त राजकीय, निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों के विभिन्न शिक्षक, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में एम.पी.एड. पाठ्यक्रम के सत्र् 2020–21 में प्रवेश हेतु राज्य स्तर पर केन्द्रीयकृत प्रवेश परीक्षा हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को अधिकृत किया गया है।
- सत्र् 2020–21 के लिए राजस्थान के समस्त राजकीय, निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों में एम.पी.एड. के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र निम्न वेबसाइट से पंजीकरण करवा के 04 जून, 2020 से 15 जुलाई, 2020 तक परीक्षा शुल्क रू. 700/–भुगतान ऑनलाईन गेटवे के माध्यम से डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैकिंग से कर सकेगें तथा सफलतापूर्वक ऑनलाईन भुगतान के पश्चात अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क उपरोक्त माध्यम से ही स्वीकार होगा।
- ऑनलाईन भुगतान के पश्चात वेबसाईट पर आवेदन पत्र ऑनलाईन कर अपने आवेदन पत्र की हाई कॉपी तीन प्रतियों में प्राप्त करें।
- आवेदन भरने के पश्चात हार्ड कॉपी को कार्यालय पर व्यक्तिशः/रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से ''**समन्वयक, प्री. एम.पी.एड प्रवेश परीक्षा 2020, खेल बोर्ड, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 302004 (राजस्थान)**'' के पते पर **16 जुलाई, 2020** तक जमा करायें।
- एम.पी.एड की **www.pmped2020.com** पर सामान्य दिशा निर्देशिका के अध्ययन के पश्चात ही योग्य इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करें।
- **प्रशिक्षणः**–पाठ्यक्रम का नाम शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर (M.P.Ed) अवधि दो वर्षीय (चार सेमेस्टर) न्यूनतम 200 कार्य दिवस प्रति शिक्षा सत्र् (प्रति सेमेस्टर न्यूनतम 100 कार्य दिवस) होगा।
- **उद्देश्यः–** इस प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के लिए प्रतिवर्ष शारीरिक शिक्षा के अध्यापक, निरीक्षक, निदेशक तैयार करना है ताकि शिक्षण संस्थाओं में आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर दी जाने वाली शारीरिक शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, जिससें विशेषतः विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व के संतुलित विकास में शारीरिक शिक्षा शिक्षक अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकें।
- **मान्यता तथा सम्बद्धताः–इ**स केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था में सम्मिलित समस्त शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय/विभाग, राजस्थान सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) से मान्यता प्राप्त होना चाहिए तथा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा कार्य के लिए विश्वविद्यालय से सम्बद्धता होनी चाहियें।
- **विभिन्न विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में एम.पी.एड. प्रवेश हेतु सीटेंः–** इस सत्र् के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित एम.पी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2020–21 हेतु **संस्थावार सीटें उपलब्ध होने पर वेबसाईट पर दर्शा दी जायेगी।**

❖ महत्वपूर्ण चेतावनी

परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, कानून के तहत एक अपराध है। तदनुसार प्री एम.पी.एड प्रवेश परीक्षा 2020 में अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनका सहारा लेने के दोष में लिप्त परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसा करने में सहायता करने वालों को 3 वर्ष तक के लिए जेल की सजा हो सकती है अथवा उन पर रू. 2000/– तक का जुर्माना हो सकता है अथवा दोनो सजाएं हो सकती है।

प्री.एम.पी.एड. प्रवेश हेतु दिशा निर्देश

नोटः–उपरोक्त सस्थाओं एवं सीटों की संख्या हेतु अधिकृत स्थिति राज्य सरकार द्वारा इस सत्र के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र, एन.सी.टी.ई की मान्यता एवं विश्वविद्यालय की परीक्षा सम्बन्धता के अनुसार ही मान्य होगी।

1. **एम.पी.एड का पाठ्यक्रमः–** एम.पी.एड का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अनुसार होगा।
2. **प्रवेश प्रक्रियाः– योग्यता (Eligibility)**

1. **शैक्षिक योग्यताः–**

विधीनुसार गठित एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि (बी.पी.एड.)/शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य में बी.एस.सी./पीजी डी.पी.एड. में 50 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। राजस्थान सरकार के प. 10 (3) शिक्षा–4/2012 पार्ट दिनांक 01 अप्रेल, 2016 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत अंको की छूट लागू होगी।

जो अभ्यर्थी इस सत्र में शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) परीक्षा के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में प्रविष्ठ हो रहे है, वे भी आवेदन कर सकते है। इन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार (Counselling) के समय उत्तीर्ण की मूल अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, सैकण्डरी, सीनियर सैकेण्डरी की मूल अंकतालिका सहित व समस्त प्रमाण पत्रों की दो–दो फोटों प्रतियॉ प्रमाणित करा कर प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा अपात्र घोषित मानें जावेगें।

2. **आयुः–**एम.पी.एड मे प्रवेश हेतु आयु पर कोई प्रतिबन्ध नही है।
3. **शारीरिक योग्यताः–** एम.पी.एड. में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो एवं उसमें कठोर शारीरिक क्रियाओं को करने की क्षमता हो। खेलों को खेलने में शारीरिक अयोग्यता, विकलांगता, गूंगापन, अंधापन एवं बहरापन नही होना चाहिए, स्वास्थ्य एवं शारीरिक दक्षता प्रमाण पत्र सरकारी चिकित्सक द्वारा प्रमाणित करवाकर फार्म के साथ जमा कराना आवश्यक है।

महिला प्रवेशार्थी शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान गर्भावस्था में नही होनी चाहिए। उक्त अयोग्यताएं होने पर प्रवेशार्थी प्रवेश हेतु पात्र नही होगी एवं प्रशिक्षण के दौरान उक्त अयोग्यताएं होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा। उक्त शारीरिक अयोग्यताएं न होने एवं शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होने का प्रमाण प्रत्र साक्षात्कार एवं शारीरिक क्षमता परीक्षण के दिन राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जो पन्द्रह दिनों से पूर्व का नही होना चाहिए।

निर्देश में वर्णित शारीरिक अयोग्यताओं के बारें में यदि कोई संशय हो तो प्रवेश के समय गठित स्थानीय मेडिकल बोर्ड के पास भिजवाया जायेगा, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय प्रवेश के समय प्रवेश समिति एवं प्रशिक्षण के दौरान प्राचार्य द्वारा लिया जाएगा।

4. **शारीरिक क्षमता परीक्षणः–** प्रवेशार्थी को प्रवेश हेतु शारीरिक क्षमता परीक्षण (फिटनेस टेस्ट) उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इसका वरीयता निर्धारण में कोई योगदान नहीं होगा।

PHYSICAL FITNESS TEST (शारीरिक दक्षता परीक्षण)

वर्ग	समय	दूरी
पुरूष वर्ग	12 मिनट	2400 मीटर दौड़
महिला वर्ग	12 मिनट	2000 मीटर दौड़

सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय खेल पोशाक में दोड़ना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षण को एक अवसर में ही उत्तीर्ण (Qualify) करना होगा तथा उन्हीं सफल अभ्यर्थियों से वरियता सूची तैयार कर प्रवेश दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षण में अनुत्तीर्ण (Disqualify) होते है, उन्हें सीटों की उपलब्धता होने पर ही पुनः अवसर दिया जायेगा।

प्रवेशार्थी जिस संस्था में प्रवेश का इच्छुक है उसके लिए काउन्सलिंग के समय महाविद्यालयों की अधिक से अधिक प्राथमिकता देते हुए विकल्प का उल्लेख करें।

प्रवेश आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के बाद में कोई भी दस्तावेज संलग्न नही किया जायेगा। परन्तु इस वर्ष स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी साक्षात्कार के समय अथवा निर्धारित तिथि तक स्नातक उत्तीर्ण की अंकतालिका की दो प्रमाणित फोटों प्रतियॉ कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है।

आवेदन पत्र में जो संबधित नही उसे काट दिया जाये एवं सलंग्न प्रमाण पत्रों का नाम, संख्या व कुल संलग्नकों की संख्या अंको एवं शब्दों में अंकित करना आवश्यक है, अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

किसी भी विभाग का कर्मचारी यदि आवेदन कर रहा है तो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति (No Objection Certificate) प्रवेश पत्र जमा करवाते समय आवश्यक रूप से सलंग्न करे अन्यथा प्रवेश होने पर प्रवेश निरस्त किया जायेगा व किसी न्यायालय में वाद प्रस्तुत नही किया जा सकेगा।

3. सीटों का आरक्षणः–

a. कुल सीटों में से समग्र योग्यता (ओवर ऑल मेरिट) के आधार पर 5 प्रतिशत सीटें अभ्यर्थियों के निवास के राज्य का विचार किए बिना आंवटित की जा सकेंगी चाहें अभ्यर्थी किसी भी राज्य का क्यों न हो बशर्तें राजस्थान के बाहर के विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थी की मेरिट राजस्थान के विभिन्न श्रेणियों की अंतिम अभ्यर्थी के प्रवेश की मेरिट से कम नही हो शेष सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेंगी जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है।

b. अन्य आरक्षण इस प्रकार होगाः–

I. राजस्थान के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 16 प्रतिशत
II. राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 12 प्रतिशत
III. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 21 प्रतिशत
IV. राजस्थान की महिला अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत (08 प्रतिशत विधवा एवं 02 प्रतिशत तलाकशुदा महिलाओं के लियें आरक्षित रहेगी)।
V. सेवारत या सेवारत रक्षा कर्मी तथा उनके आश्रितों के लिए 05 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) के आधार पर
VI. राजस्थान के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक स्तर के आधार पर 10 प्रतिशत (राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार देय होगा)
VII. राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 05 प्रतिशत (राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार देय होगा)

उपरोक्त आरक्षित सीटों के रिक्त रहने पर उन पर प्रवेश सामान्य वर्ग के प्रवेशार्थियों की नियमानुसार बनी वरीयता के आधार पर दिया जायेगा।

i. राजस्थान की अनुसूचित/अनु. जनजाति/महिला अभ्यर्थियों/अन्य पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजन मजिस्ट्रेट/तहसीलदार से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ii. विवाहित महिला के संदर्भ में उसके पति का बोनाफाइड निवास स्थान राजस्थान में उनका बोनाफाइड निवास स्थान माना जा सकता है। बशर्तें पति के निवास का बोनाफाइड निवास प्रमाण पत्र पेश किया जाये और विवाह प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो, प्रवेश में आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायें।

iii. विधवा एवं तलाकशुदा श्रेणी का लाभ लेने वाली अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विधवा अभ्यर्थियों द्वारा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं तलाकशुदा महिला को न्यायालय से अपने तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं इस आशय का शपथ पत्र भी कि, उसने पुनः शादी नही की है, देना होगा।

iv. किसी भी स्तर पर यदि तथ्यों का विवरण मिथ्या पाया गया तो अभ्यर्थी के स्वतः ही प्रवेश की पात्रता रद्ध हो जायेगी और यदि प्रवेश मिल भी चुका हो तो वह भी निरस्त हो जायेगा।

v. पात्र अभ्यर्थीयों की कुल संख्या में से पहले सामान्य सीटों हेतु चयन किया जायेगा। तत्पश्चात् आरक्षित कोटे का चयन किया जायेगा और यदि आरक्षित कोटे के स्थान रिक्त रहेंगे तो उन्हें सामान्य श्रेणी में स्थानान्तरित किया जा सकेगा और योग्यता सूची से भरा जा सकेगा।

vi. न्यायालय में दायर सभी वादों हेतु क्षेत्राधिकार सिर्फ जयपुर होगा। राजस्थान के शारीरिक शिक्षा महाविद्यालयों में एम.पी.एड. सत्र 2020–21 में प्रवेश सिर्फ राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा। अतः प्रवेश से संबधित शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्यों के विरूद्ध न्यायालयों में दायर वाद इस विश्वविद्यालय को स्वीकार्य नहीं होगें। यदि इस प्रकार का कोई प्रवेश शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिया जाता है तो वह भी स्वीकार्य नहीं होगा।

4. शुल्क :–राज्य सरकार के निर्देशानुसार एम.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क निर्धारित किया जायेगा। लेकिन काउन्सलिंग के पंजीकरण हेतु रू. 5000/– का चालान से जमा कराने होगें, जो प्रथम वर्ष कुल अपेक्षित शिक्षण शुल्क रू. 22370/–का अंश है।

5. एम.पी.एड. की वरीयता का निर्धारणः–

1. मेरिट बनाने का आधार 200 अंक मानकार किया जाए।

अ	लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ(Objectiv type)	100 अंक
ब	60 प्रतिशत अंक (बी.पी.एड/शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य में बी.एस.सी./पीजी डीपीएड. के परीक्षा के कुल प्राप्तांक)	60 अंक
स	सी.पी.एड या किसी भी खेल में एक वर्षीय कोचिंग डिप्लोमा	05 अंक
द	**खे**ल प्रमाण पत्र धारीयों के लिए	35 अंक
		कुल 200 अंक

6. खेल क्रीड़ा कौशल स्तर योग्यताः– खेलकूद प्रतियोगिताएं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, नवोदय विश्वविद्यालय समिति, केन्द्र विद्यालय संगठन की विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और विश्वविद्यालय/खेल बोर्ड द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों/विजेता खिलाड़ियों की उपलब्धि के अनुसार अंक (weightage) दिये जा सकेंगे। ओपन प्रतियोगिताओं के कोई अंक नही दिये जायेगें।

I.	विश्व स्कूल खेल (World School Games)/ वर्ल्ड युनिर्वसिटी खेल (World University Games) में प्रतिभागिता/ अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.जी.एफ.आई) की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	35 अंक
II.	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.जी.एफ.आई.) की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में द्वितीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	30 अंक
III.	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.जी.एफ.आई.) की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में तृतीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	25 अंक
IV.	स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.जी.एफ.आई.) की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	20 अंक
V.	इन्टर जोनल अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल राज्य स्तर/ संस्कृत विद्यालय राज्य स्तर/ के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. नेशलन स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारीयों के लिए	20 अंक
VI.	इन्टर जोनल अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल राज्य स्तर/ संस्कृत विद्यालय राज्य स्तर/ के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. नेशलन स्तर की प्रतियोगिताओं में द्वितीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारीयों के लिए	15 अंक
VII.	इन्टर जोनल अन्तर विश्वविद्यालय/ स्कूल राज्य स्तर/ संस्कृत विद्यालय राज्य स्तर/ के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. नेशलन स्तर की प्रतियोगिताओं में तृतीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारीयों के लिए	13 अंक
VIII.	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय/जोन अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल राज्य स्तर / संस्कृत विद्यालय राज्य स्तर/के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. नेशलन स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी खेल प्रमाणपत्र धारीयों के लिए	12 अंक
IX.	अन्तर महाविद्यालय/संस्कृत अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल जिला स्तर/ संस्कृत विद्यालय संभाग स्तर/ के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. रीजनल या कलेस्टर स्तर की प्रतियोगिताओं मे प्रथम स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारीयों के लिए	10 अंक
X.	अन्तर महाविद्यालय/संस्कृत अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल जिला स्तर/ संस्कृत विद्यालय संभाग स्तर/ के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. रीजनल या कलेस्टर स्तर की प्रतियोगिताओं में द्वितीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारीयों के लिए	08 अंक
XI.	अन्तर महाविद्यालय/संस्कृत अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल जिला स्तर/ संस्कृत विद्यालय संभाग स्तर/ के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. रीजनल या कलेस्टर स्तर की प्रतियोगिताओं में तृतीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारीयों के लिए	06 अंक
XII.	अन्तर महाविद्यालय/संस्कृत अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल जिला स्तर/ संस्कृत विद्यालय संभाग स्तर/ के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./ सी.बी.एस.ई. रीजनल या कलेस्टर स्तर स्तर की प्रतियोगिताओं मे प्रतिभागी खेल प्रमाण पत्र धारीयों के लिए	04 अंक

- सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक को उक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ किसी राजकीय/अनुदानित गैर राजकीय विद्यालय में न्यूनतम तीन वर्ष की निरन्तर सेवारत होना आवश्यक है।

7. प्री एम.पी.एड प्रवेश परीक्षा 2020 की लिखित परीक्षा हेतु मार्गदर्शन

प्रतियोगी परीक्षा की प्रकृति के अनुसार, किसी भी तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। वह सर्वोत्तम को चुनने की एक प्रकिया है तथापि यहां कुछ रूपरेखा दी जा रही है।

i. बी.पी.एड पाठ्यक्रम में पढ़ायें जाने वाले सभी विषयों का पाठ्यक्रम, सभी खेलकूद, सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर शिक्षा ।

ii. प्रश्न पत्र में प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पी न्यूनतम चार उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे ।

iii. प्रश्न पत्र अग्रेंजी व हिन्दी दोनों भाषाओं में होगा, किन्तु भाषाओं में प्रश्न पत्र या उत्तर विकल्पों में अन्तर होने की दशा में अंग्रेजी अनुवाद को अन्तिम माना जायेगा।

iv. प्रश्न पत्र की अवधि एक घण्टे 30 मिनिट की होगी।

v. प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, पूरा प्रश्न पत्र 100 अंको का होगा।

vi. सभी प्रश्न पत्र ''टेस्ट बुकलैट'' के रूप में होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्पी उत्तर (A) (B) (C) (D) आदि रूप में होंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उसे दिये गये उत्तर पत्रक (OMR Sheet) में प्रश्न के अनुरूप क्रमांक में नीले बालपेन से पूरे गोले को गहरा नीला करना है। निशान गहरा नीला और गोला पूरा भरा होना चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर के लिए केवल एक गोले को गहरा नीला करना है। दी हुई उपयुक्त जगह को ही नीला कीजिये। उत्तर पत्रक पर इधर–उधर कहीं भी निशान मत लगाइए। एक से अधिक गोले को नीला कर देने से उत्तर गलत मान लिया जायेगा। उत्तर पत्रक पर अन्य रफ कार्य नहीं करना है। मूल्यांकन केवल उत्तर पत्रक के आधार पर ही किया जायेगा।

vii. टेस्ट बुकलेट विभिन्न समुच्चयों (Combination) में व्यवस्थित होगी। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रश्न–पुस्तिका का क्रमांक उत्तर–पत्रक पर सावधानी से सही अंकित करें और अंको के समानान्तर गोले को सावधानी से गहरा नीला करें।

8. प्रवेश प्रकिया निर्देश के नोट–

- वरीयता निर्धारण के परिणामस्वरूप आने वाली वरियताओं में **<u>अर्न्तराष्ट्रीय स्तर</u>** पर ए.आई.यू. से मान्यता प्राप्त खेलों के खिलाड़ी वरीयता में स्थान न रखने पर भी प्रवेश प्रकिया निर्देश में दर्शायी गई न्यूनतम वांछित योग्यता पर प्रवेश दिया जायेगा। बशर्त की उसने शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो।
- वरीयता सूची बनाते समय यदि दो या अधिक प्रवेशार्थियों के प्राप्तांक बराबर हो तो उनमें से आयु में जिस क्रम में बड़ा हो उसे उसी अनुरूप वरीयतामें स्थान दिया जाएगा। इसके बावजूद भी यदि समान स्थिति में आ जाए तो हिन्दी वर्णमाला के अनुसार जिसका नाम पहले आए उसे वरीयता में वरिष्ठ स्थान पर रखा जाएगा।

9. प्रमाण पत्र–

- जॉच करते समय यह देखा जाएगा कि निम्न प्रमाण पत्र क्या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किये गये है? जारी प्रमाण पत्र की सक्षमता की पुष्टि होने पर ही प्रमाण पत्र वैध माने जाऐंगे अन्यथा वे अमान्य होगे तथा उस पर कोई लाभ देय नही होगा। यदि इन प्रमाण पत्रों के संबंध में कोई संदेह की स्थिति प्रवेश आवेदन पत्रों की जॉच एवं मूल प्रमाण पत्रों के मिलान के समय उत्पन्न होती है, तो जॉच करवाई जाएगी एवं जॉच के प्रमाण पत्रों के गलत/असत्य/अप्रमाणित/ जाली पाए जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा एवं दोषी अभ्यर्थी के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
- अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति/महिला अभ्यर्थियों/ अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजन मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार द्वारा जारी सील सहित इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- **सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक** का अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र (नमूना संलग्न) राजस्थान सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा अध्यापक/अध्यापिकाओं के लिए शारीरिक शिक्षा अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र उस शाला के प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इस पर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के भी हस्ताक्षर आवश्यक है। हस्ताक्षरकर्ता अपना पूरा नाम मय सील अंकित करेगें। हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य के पद के रूप में ही होने चाहिए। अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र न्यूनतम तीन वर्ष की लगातार अवधि का होना चाहिए एवं यह तीन वर्ष की अवधि आवेदन पत्र भरने की दिनांक तक निरंतर रहनी चाहिए। ऐसी स्थिति में ही यह अध्यापन प्रमाण पत्र बी.पी.एड में सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक के निर्धारित स्थान हेतु मान्य होगा।
- **पिता/संरक्षक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र** प्रवेशार्थी के पिता के जीवित होने पर पिता द्वारा एवं पिता के जीवित न होने पर माता/संरक्षक द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है, अविवाहित महिला/विधवा होने पर पिता द्वारा, विवाहित होने पर यह प्रमाण पत्र उसके पति द्वारा दिया जाना आवश्यक है। इस प्रमाण पत्र में पिता/संरक्षक/पति द्वारा यह घोषणा करनी आवश्यक है कि मैं प्रवेश नियमों के अंतर्गत प्रवेश देने एवं प्रवेशार्थी का समस्त व्यय वहन करने हेतु सहमति देता हूँ और पूर्ण प्रशिक्षण काल में प्रवेशार्थी के व्यवहार एवं सभी उत्तरदायित्वों को वहन करूंगा।

<u>नमूना</u>

सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रमाण पत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी .... विद्यालय का नाम .... जिला .... की तृतीय वेतन श्रृखला में प्रथम नियुक्ति तिथि .... है। इनका मूल वेतन .... रूपये प्रतिमाह है। ये वेतन श्रृंखला .... कार्यरत है।

प्रति हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी	हस्ताक्षर संस्था प्रधान
नाम एवं मोहर सहित	नाम एवं मोहर सहित